न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 10/2023

दायर दिनांकः 20.11.2023

उनवान

1. रमेशचन्द पिता नाथूलाल जाति ब्राहाण नि. बरखेड़ी कदीम तह. पिडावा

—अपीलांटस

1. बालूसिंह पिता पूरसिंह जाति सोंधिया नि. बरखेड़ी कदीम तहसील पिडावा
2. सरपंच ग्राम पंचायत नौलाई पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल
3. कुमारी सुनीता हल्का पटवारी नौलाई तह० पिड़ावा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० पिडावा जिला झालावाड़ राज

—रैस्पोंडेण्टगण

अपील बनाराजगी आदेश नामांतरण संख्या 444 दिनांक 10.10.2023 ग्राम खजुरी पटवार हल्का नौलाई तहसील पिडावा

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

अभिभाषक अपीलांटस :— श्री नीलकमल त्रिवेदी
अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 1 :— श्री रमीज रजा कुरेशी
रेस्पोडेन्टस सं. 2 :— एकतरफा
रेस्पोडेन्टस सं. 3 :— स्वयं
रेस्पोडेन्टस सं. 4 :— पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 24.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खजुरी पटवार हल्का नौलाई तह० पिड़ावा में वर्तमान खाता संख्या 15 की कुल किता 8 रकबा 3.0730 है० आराजी इस आराजी में से 1/8 हिस्से का नामांतरण संख्या 444 दिनांक 05.10.2023 रेस्पोंडेण्ट नं. 3 के द्वारा रेस्पोंडेण्ट नं. 1 के पक्ष में भरा गया है जिसे दिनांक 10.10.2023 को रेस्पोंडेण्ट नं. 2 के द्वारा रैरयोंडेण्ट नं. 1 के पक्ष में आदेश पारित कर तस्दीक किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट [illegible] 2[illegible]6 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा [illegible] रामदयाल वगै. के उनवान से अन्तर्गत धारा 88, [illegible] एक्ट के तहत पेश किया है जिसमे अपीलान्ट के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र पेश

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(6)

किया गया था। जिसका क्रमांक 83/2016 है। इस प्रार्थना पत्र में 26.09.2016 को माननीय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करते हुए विवादित आराजी पर आगामी आदेश तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है जिसमें रैस्पोंडेण्ट नं. 1 व 4 भी पक्षकार के रुप में शामिल है रैस्पोंडेण्ट नं. 3 रैस्पोंडेण्ट नं. 4 के अधीनस्थ कर्मचारी है जिसका भी दायित्व है कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने में अपना दायित्व निभाते लेकिन ऐसा नहीं करते हुए माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना नहीं करते हुए दिनांक 07.07.2016 को रैस्पोंडेण्ट नं. 1 के पक्ष में तस्दीक हुए बयनामे का नामांतरण सख्या 444 दिनांक 05.10.2023 को भरकर (खोलकर) रेस्पोंडेण्ट नं. 2 से रैस्पोंडेण्ट नं. 1 के पक्ष में तस्दीक करवा लिया है जबकि माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश वर्तमान में भी लागु है इस वजह से नामान्तरण संख्या 444 निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट ने रैस्पोंडेण्ट नं. 4 के माध्यम से रैस्पोंडेण्ट नं. 3 को माननीय न्यायायल के आदेश की जानकारी दे दी थी इसके बावजूद भी यह नामांतरण संख्या 444 रैस्पॉडेण्ट नं. 2 से तस्दीक कराया है। जो अवैधानिक है। यह कि अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से माननीय न्यायालय में पेश है। यह कि अपील अपीलान्ट उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खजुरी पटवार हल्का नौलाई तहसील पिड़ावा का नामांतरण संख्या 444 दिनांकः 10.10.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री रमीज रजा कुरेशी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि अपील [illegible] नं. 1 में वर्णित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 10.10.20[illegible] तस्दीक होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नं. 2 में वर्णित वाद की रेस्पोडेंट को जानकारी नहीं रही है और ना ही राजस्व रेकार्ड में इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वाद का कोई अंकन था और ना ही अपीलान्ट ने कमी राजस्व कर्मचारियों या सहखातेदारी को इस संबंध में कोई जानकारी दी औपलान्ट ने दिनांक 26.09.2016 को माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा से स्थगन का आदेश बताया है उस तारीख से लेकर आज दिनांक तक पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में कई नामान्तरकरण दर्ज हुए है और जिस स्थगन का जिक्र अपीलान्ट ने किया है वो स्थगन जिस दिन प्रार्थना पत्र पेश किया उसी दिन स्वगन ले लिया यानी एक्स्पार्टी सेम डे स्थगन है इस स्थगन की जानकारी ना तो राजस्व कर्मचारी को थी और ना ही। किसी भी अन्य खातेदार को स्थगन सहखातेदारों की जानकारी व राजस्व कर्मचारियों को नहीं रहा। इस कारण पैरा नं. 2 अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नं. 3 गलत है अस्वीकार है क्योकि नामान्तरकरण संख्या 444 के समय अपीलान्ट ने स्थगन की कोई सूचना राजस्व कर्मचारियों और सहखातेदारी को नहीं दी नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांकः 10.10.2023 को तस्दीक हुआ नामान्तरकरण से पहले आराजी का जो बैचान–पत्र निष्पादित हुआ वह सारे सहखातेदार, अपीलांट एवं समस्त गांव के निवासीयों की जानकारी में है उस समय भी अपीलान्ट ने स्थगन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी अपीलान्ट ने दिनांक 25.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें स्थगन का वर्णन किया उसके बाद दिनांकरू 28.06.2024 को जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्थगन का नोट अंकित हुआ इससे यह स्पष्ट है कि स्थगन की जानकारी दिनांक 25.06.2025 को प्राप्त हुई। यह कि अपील का पैरा नं. 4 अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नं. 5 अस्वीकार है। अपील के अन्त में चाही प्रार्थना अस्वीकार है। **विशेष कथनः–** यह कि अपीलान्ट ने जिस स्थगन अदेश का उल्लेख किया है वो स्थगन आदेश एक्सपार्टी सेम डे स्थगन है इस स्थगन की जानकारी वास्तविकता में तो अपीलान्ट को भी नहीं है क्योकि जिस स्थगन का उल्लेख अपीलान्ट ने किया हैं उस स्थन की दिनांक से लेकर आज तक उक्त आराजी पर कई [illegible] हो चुके है मौके एवं रिकार्ड की स्थितियां बदल गई है रिकार्ड में [illegible] होकर कई नामान्तरकरण दर्ज हो चुके है नामान्तरकरण संख्या 444 तस्दीक होने से पहले आराजी का वैचान पत्र निष्पादित हुआ है इस बैचान–पत्र की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

समस्त सहखातेदारों और अपीलान्ट को रही है तथा बैचान पत्र निष्पादित होने के बाद नामान्तरकरण दर्ज किया गया है इस दौरान भी अपीलान्ट ने इस स्थगन की जानकारी ना तो राजस्व कर्मचारियों दी और ना ही सहखातेदारों को दी है जबकि नामान्तरकरण दिनांकः 10.10.2023 को तस्दीक किया गया जो कानूनी रुप से सही है। यह कि अपीलान्ट ने एक वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा के यहां 88, 92ए, 188, 209 आर०टी०एक्ट का पेश कर रखा है जिसका वाद संख्या 119/2016 है जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.09.2025 है उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट नं. 1 बालूसिंह ने दिनांक 10.01.2024 को अपने विरुद्ध की गई एक्सपार्टी हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर दिनांक 16.06.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा एक्सपार्टी हटाने का आदेश हुआ है और इस दावे में सभी सहखातेदार में से प्रतिवादी 2 लगायत 5 व 12 को छोड़कर सभी के विरुद्ध एक्सपार्टी हो रखा है तथा प्रतिवादी 2 लगायत 5 व 12 की तलबी में है। इस दावे कि सूचना आज तक भी किसी भी सहखातेदार को नहीं रही है। यह कि उक्त आराजी के संबंध में माननीय न्यायायल में दावा विचाराधीन है जब तक इस दावे का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अपील पर अपीलान्ट कि सूनवाई न्यायहित में नहीं की जा सकती है। इस कारण अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जावे। यह कि अपीलान्ट ने जिस स्थगन का उल्लेख किया है वो स्थगन अपीलान्ट ने दिनांक 26.09.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उसी दिन यानी दिनांक 26.09.2016 को ही स्थगन प्राप्त कर लिया तथा पत्रावली में स्थगन तलब वास्ते दिनांक 16.11.2016 उसके बाद दिनांक 16.12.2016, दिनांक 30.01.2017 तथा दिनांक 20.03.2017 तक पत्रावली तलबी में ही रही उसके बाद दिनांक 11.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प नौलाई में पत्रावली में ताफैसला मूल वाद तक स्थगन के आदेश जारी कर दिये तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई इस प्रकार इस स्थगन की जानकारी किसी [illegible] नहीं रही है। इस कारण भी अपील खारिज होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट ने नामान्तरण संख्या 444 को विधी विरुद्ध एवं गैर कानूनी बताया है लेकिन नामान्तकरण संख्या 444 किस प्रकार विधी विरुद्ध है यह नहीं बताया है या नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

में कोनसे कानून का उल्लंघन हुआ है यह नहीं बताया है इस कारण भी अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। अतः जवाब अपील रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील खारीज फरमाये जाने की कृपा जाये।

3. रेस्पोडेन्टस सं. 2 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.10.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 3 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिससे रेस्पोडेन्टस सं. 3 जवाब अवसर बंद किया गया।

4. रेस्पोडेन्टस सं. 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि रिर्पोट पटवारी के अनुसार ग्राम खजूरी के आराजी ख०न० किता 8 रकबा 3.0730 में खातेदार राधाकुमारी पुत्री गोपाल भगतबाई पत्नी स्वर्गीय गोपाल रामदयाल पिता गोपाल जाति ब्राहमण के हिस्सा 1/8 का बैचान बालुसिह पुत्र पुरसिह जाति सोधिया निवासी बरखेडी कदीम को किये जाने से मुताबिक बैचान पत्र पटवारी हल्का सुनीता महावर द्वारा नामा० न० 444 दिनांक 05.10.2023 को केता बालुसिह के पक्ष में दर्ज किया गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.10.2023 को तस्दीक किया गया। दिनांक 26.09.2016 को माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उक्त खसरा न० के सम्बध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि गई थी किन्तु तत्समय इस निषेधाज्ञा के आज्ञा के नोट का अंकन जमाबन्दी में नही हुआ जब पटवारी द्वारा उक्त खसरा न० के बैचान का नामान्तकरण 444 दर्ज किया गया तब भी जमाबन्दी निषेधाज्ञा कर नोट का नोट अंकित नहीं था प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश की पालना में दिनांक 28.06.2024 को निषेधाज्ञा नोट जमाबन्दी में अंकित किया गया। उक्त न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का को नहीं होने एवं आदेश की प्रतिलिपि पटवारी हल्का के पास नही होने से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण 444 दर्ज कर दिया गया। बाद जॉच रिर्पोट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेर्षित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम खजूरी नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 10.10.2023 की सत्यप्रति, ग्राम खजूरी का खाता सं. 15 जमाबंदी सं. 2072—75, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा का प्रकरण सं. 83/2016 स्थगन आदेश व प्रार्थना पत्र पेश किया एवं पेरोकार सरकार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नामा.सं. 444 एवं खाता सं. 15 जमाबंदी सं. 2072—75, रमेशचन्द पि. नाथूलाल का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2024 की छायाप्रति पेश की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खजूरी हल्का नोलाई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 107 ख.नं. 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 व 397 किता 8 कुल रकबा 12—03 बीघा आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती हेतु अपीलांट द्वारा वाद सं. 119/2016 मय स्थगन प्रार्थना पत्र 83/2016 उनवान रमेशचन्द बनाम रामदयाल दिनांक 26.09.2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में दर्ज रजिस्टर किया गया था। प्रार्थना पत्र सं. 83/2016 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को वादग्रस्त आराजी किता 8 रकबा 12—03 बीघा पर राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश जारी किये थे जिसमें दिनांक 11.05.2017 को फाईनल अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद जारी किये गये थे। उक्त दोनो वादो में रामदयाल पि. गोपाल, राधाकुमारी पि. गोपाल व भगतबाई बेवा गोपाल प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार थे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 रामलाल को 2017—18 में ही सम्मन तामिल हो चुके थे और वकील श्री विनोद जैन पांच वर्षो तक उपस्थित रहे थे। उसके बावजूद भी अदालत में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 27.10.2020 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जबकि प्रतिवादी सं. 3 व 4 को [illegible] 18.12.2024 तक सम्मन की जानबूझकर तामील नहीं कराया था। अभिभाषक अपीलांट ने आगे तर्क किया कि इस न्यायालय से वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी मूल दावे के पक्षकारान रामदयाल पि. गोपाल, राधाकुमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पि. गोपाल व भगतबाई बेवा द्वारा अपने हिस्से 1/8 का बेचान जरिये रजिस्टी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में कर दिया गया जिसे उप पंजीयक पिडावा द्वारा विधि विरूद्ध रूप से रजिस्टर्ड किया गया। इसी अवैध व प्रभावशून्य बेचान के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 द्वारा गैर कानूनी रूप से नामा.सं. 444 दिनांक 10.10.2023 निर्णित कर दिया गया। सम्पत्ति हस्तान्तरण 1882 की धारा 52 के अनुसार किसी सम्पत्ति को लेकर किसी न्यायालय में वाद लंबित होने के दौरान ऐसा कोई अंतरण करना प्रतिबंधित है जिसे अन्य पक्षकारो के हक व अधिकार प्रभावित होते हो। अतः ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय के स्थगन के आदेश के बावजूद दर्ज किया गया नामा.सं. 444 विधि विरूद्ध होने खारीज किये जाने योग्य है।

7. अभिभाषक रेस्पोडेटस सं. 1 द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि इस न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 83/2016 एवं 119/2016 में विक्रेतागण पक्षकारो को वर्ष 2025 तक कभी भी सम्मन की तामील नहीं हुई है और ना ही न्यायालय में वाद लंबित होने की कोई जानकारी थी। विक्रेतागणो द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में दिनांक 07.07.2016 को वादग्रस्त भूमि की रजिस्टी करवाई गई थी जबकि न्यायालय का स्थगन आदेश रजिस्टी के बाद दिनांक 26.09.2016 को एकपक्षीय रूप से जारी हुआ था। अतः धारा 52 सम्पत्ति हस्तान्तरण नियम लागू नहीं होगे। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि बेचान के समय विक्रेतागण पक्षकार को सम्मन की तामील हो चुकी थी। उक्त प्रकरणो में रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 पक्षकार नहीं थे और इसलिए उन्हे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। जमाबंदी पर भी किसी प्रकार का कोई स्थगन का नोट अंकित नहीं थी। आगे तर्क किया कि अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र 83/2016 में पहली तारीख पर ही एकपक्षीय स्थगन प्राप्त किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व शिविर स्थल नोलाई में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बिना आपसी सहमति व एकपक्षीय रूप से फाईनल कर दिया गया जो लोक अदालत एवं राजस्व केम्पो के विधिक प्रावधानो के विरूद्ध होने से प्रभावी नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तर्क किया गया कि अपीलांट द्वारा रजिस्टी होने के सात वर्षो बाद यह अपील पेश की है। इस दौरान वादग्रस्त भूमि में अन्य 10 से अधिक नामान्तरण सं. 399, 415, 416, 426, 444 आदि दर्ज हो चुके है लेकिन अपीलांट द्वारा केवल नामा.सं. 444 की अपील की है जिससे जाहिर है कि अपीलांट बदनियत से न्यायालय में उपस्थित हुए है। विक्रेतागण ने अपने रिकार्डेड हिस्से का ही बेचान किया था ना कि अपीलांट के हिस्से का। अतः अपीलांट की अपील खारीज किये जाने योग्य है।

8. पेरोकार सरकार रेस्पोडेटस सं. 4 द्वारा कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति कभी भी तहसील कार्यालय में नहीं दी गई और जमाबंदी पर भी कोई स्थगन नोट अंकित नहीं था जिसके अभाव में न्यायालय के स्थगन की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 25.06.2024 को स्थगन आदेश की प्रति तहसील कार्यालय में दी गई जिस पर कार्यवाही कर दिनांक 28.06.2024 को निषेधाज्ञा को नोट जमाबंदी पर अंकित कर दिया गया था। अतः पटवारी हल्का द्वारा खोला गया नामान्तरण विधिवत होने से अपील खारीज योग्य है।

9. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकार इस तथ्य पर निंविवादित है कि ग्राम खजूरी की वादग्रस्त भूमि में से रिकार्डेड खातेदार **रामदयाल पि. गोपाल, राधाकुमारी पि. गोपाल व भगतबाई बेवा** द्वारा अपने हिस्से 1/8 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2016 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 को किया गया था और अपीलांट द्वारा पेश प्रकरण सं. 83/2016 उनवान रमेशचन्द बनाम रामदयाल में न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को दर्ज रजिस्टर कर स्थगन आदेश जारी किया गया था। अतः स्पष्ट है कि न्यायालय के स्थगन आदेश से करीब ढाई माह पूर्व ही वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान हो चुका था। बेचान वाद लंबित होने/स्थगन आदेश जारी होने [illegible] का है। **अतः सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882** [illegible] 52 के प्रा[illegible] हस्तगत बेचान **पर लागू नहीं हुए।** अपीलांट द्वारा पेश [illegible] में लंबित प्रकरण सं. 83/2016 और 119/2016 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला [illegible] (राज०)

पत्रावली दिनांक 25.08.2020 तक विक्रेतागण रामदयाल पि. गोपाल, राधाकुमारी पि. गोपाल व भगतबाई बेवा की तलवी में नियत चल रही थी। मूल वाद प्रकरण सं. 119/2016 की दिनांक 27.10.2020 की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रति. 2 से 5 की तलवी हेतु तलवाना पेश नहीं किये गये थे। प्रति. 1 रामदयाल को सम्मन की तामील कब हुई थी इसका आदेशिका पर कही भी अंकन नहीं है। आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 18.12.2024 तक प्रतिवादी 2 से 5 की तलवी हेतु अपीलांट द्वारा तलवाने पेश नहीं किये गये थे जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट न्यायालय से एकपक्षीय स्थगन लेकर 7 वर्षो तक प्रतिवादी 2 से 5 को सम्मन की तामील नहीं करायी गयी जबकि प्रति. 1 रामदयाल को भी सम्मन तामील होने का कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। *अपीलांट द्वारा पेश स्थगन आदेश सं. 83/2016 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प दिनांक 11.05.2017 को बिना किसी पक्षकार की उपस्थिति के एवं बिना सभी पक्षकारो की सहमति के लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर ताफैसला मूल वाद स्थगन आदेश जारी किया गया जबकि पत्रावली प्रतिवादी की तलवी में नियत चल रही थी। प्रतिवादीगण 2 से 5 को दिनांक 18.12.2024 तक और प्रतिवादी 1 को 25.08.2020 तक प्रतिवादीगण को तामील हुए बिना और लोक अदालत की भावना के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो के पूर्णतः विरूद्ध था।*

10. अभिभाषक अपीलांट का यह कथन साबित नहीं है कि रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से वर्ष 2017 में एडवोकट श्री विनो जी जैन उपस्थित होकर पांच वर्षो तक उपस्थित रहे और 2023 में स्वयं एडवोकेट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करवाई गई। अपीलांट द्वारा प्रकरण [illegible] किसी भी वकालातनामा की प्रति हस्तगत अ[illegible] के अवलोकन से यह सही है कि रेस्प[illegible] में दिनांक 11.03.2019 को सम्मन की तामील हो गई थी [illegible]सका आदेशिका पर

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

(14)

दिनांक 06.08.2019 को अंकन है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि उनके द्वारा स्थगन आदेश की सत्यप्रति तहसीलदार पिडावा को 2016 या 2023 तक दी गई हो और तहसीलदार द्वारा जमाबंदी पर स्थगन नोट अंकित नहीं किया गया हो। अपीलांट द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि नामा.सं. 444 को दर्ज करते समय हल्का पटवारी को एवं निर्णित करते समय ग्राम पंचायत नोलाई की कोरम को कोई आपत्ति या न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति पेश की गई हो। जब हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत कोरम के न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी होना साबित नहीं है तो फिर नामा.सं. 444 भी विधि विरूद्ध होना प्रतीत नहीं होता है।

11. अपीलांट द्वारा पेश ग्राम खजूरी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 15 किता 8 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है **कि केवल वर्ष 2020 से 2023 के मध्य नामा.सं. 399, 415, 416, 426 व 444 ही स्थगन आदेश के बावजूद भी दर्ज किये गये थे** फिर भी अपीलांट द्वारा कोई अपील या आपत्ति पेश नहीं की गई जिससे अपीलांट का स्वच्छ हाथो से अपील पेश करना संदेहप्रद प्रतीत होता है।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम खजूरी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 15 किता 8 रकबा 3.0730 है. के संबंध में दर्ज नामा.सं. 444 दिनांक 10.10.2023 के विरूद्ध अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. खारीज योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

13. परिणामतः अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 खारीज की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:50 IST
Reason: SelfAttested

24/4/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़, राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner